सं. 11013/11/2007-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

—

नॅर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 13 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 - सहकारी समितियों आदि में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद को धारण करने से संबंधित नियम 15 के प्रावधान ।

चूँकि इस विभाग में सहकारी समितियों और अन्य निकायों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद को धारित करने की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित कई पत्र प्राप्त हो रहे हैं अतः केन्द्रीय सचिवालय सेवा आचरण (नियमावली), 1964 के संगत प्रावधानों को दोहराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15 (1)(ग) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पहले ली गई सरकारी स्वीकृति को छोड़कर किसी भी निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा निगमित नहीं हों, में किसी निर्वाचित पद को धारित नहीं करेगा अथवा किसी निर्वाचित पद हेतु एक उम्मीदवार अथवा उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेगा । तथापि, नियम 15 (2)(घ) के अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बगैर ही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा चैरिटेबल सोसाइटी अथवा क्लब अथवा सदृश संगठन, जिसके उद्देश्य अथवा लक्ष्य खेल-कूद सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की गतिविधियों के संवर्धन से जुड़े हुए हों, के पंजीकरण संवर्धन अथवा प्रबंध (इसमें निर्वाचित पद को धारित करना शामिल नहीं है) में भाग ले सकता है । नियम 15 (2) (ङ) में यह व्यवस्था की गई है कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण, संवर्धन अथवा प्रबंधन (इसमें निर्वाचित पद शामिल नहीं है) में यथार्थतः सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ भाग लेने हेतु किसी भी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है ।

2. इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारी का पूरा समय सरकार के लिए उपलब्ध होना चाहिए तथा उसके सरकारी कर्त्तव्यों से संबंध नहीं रखने वाली गतिविधि को इन कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करने में रूकावट पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । सभी मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि सहकारी सोसाइटियों की

... 2/-...

गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी की भागीदारी उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप तथा उनके सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करती है ।

3. सहकारी सोसाइटियों के संगत अधिनियमों तथा उप नियमों में कार्यकालों की अवधियों की संख्या सहित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित आवश्यक प्रावधान अंतर्विष्ट हैं ।

4. सहकारी सोसाइटियों तथा अन्य निकायों की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति के लिए सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोधों की जाँच केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15 (1) तथा (2) के उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त ऐसी सोसाइटियों को शासित करने वाले संगत अधिनियमों तथा उप नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भी की जाए ।

(पी. प्रभाकरन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि:

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ।
2. संघ लोक सेवा अयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
5. सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन ।
6. लोक/राज्य सभा सचिवालय ।
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।